छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 21/2006</u>

श्री इन्द्रजीत दास, ... अपीलार्थी
मकान नं. 392,
मेन रोड के पास,
माना कैम्प,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी, ... प्रतिअपीलार्थी
जिला शिक्षा अधिकारी,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

:: आदेश ::
(23 अगस्त 2006)

श्री इन्द्रजीत दास अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की। अपीलार्थी ने अपने आवेदन में यह उल्लेख किया है कि उसने जन सूचना अधिकारी, जिला शिक्षा विभाग को प्राचार्य, श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, डूमरतराई के द्वारा शासकीय सेवा हेतु प्रस्तुत मूल निवासी प्रमाण पत्र, शासकीय मकान में रहने के कारण उसके द्वारा किये गये किराया भुगतान तथा पूर्व में दिनांक 3–3–2003, 7–3–2003, 14–3–2003 को की गई शिकायत पर कार्यवाही की जानकारी चाही थी। उक्त जानकारी अपीलार्थी को नहीं दी गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत की। जानकारी प्राप्त न होने पर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी का यह भी तर्क है कि उसे जो जानकारी दी गई वह अपूर्ण तथा गलत है।

आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी किया गया। दिनांक 20–4–2006 को जन सूचना अधिकारी को समक्ष में निर्देश दिये गये कि वे 15 दिन में अपीलार्थी को निःशुल्क जानकारी प्रदान करे साथ ही निर्धारित अवधि में जानकारी न दिये जाने के फलस्वरूप जन सूचना अधिकारी को 25,000/– रूपए का अर्थदण्ड क्यों न आरोपित किया जावे, इसका कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश भी दिया गया। दिनांक 25–5–2006 को अपीलार्थी के द्वारा बताया गया कि उसे जो जानकारी दी गई है वह असत्य तथा अपूर्ण है। दिनांक 4–7–2006 को जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती भाम्बरा के द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिया गया। दिनांक 25–7–2006 को अपीलार्थी के द्वारा बताया गया कि उसे जानकारी प्राप्त करने के लिए फीस जमा करने की सूचना दी गई है, जबकि आयोग के द्वारा

निःशुल्क जानकारी दिये जाने के आदेश हैं। अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी को सुना गया तथा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के द्वारा तीन बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई थी। श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह के 1–मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति, 2–शासकीय आवास गृह में निवास करने के फलस्वरूप निर्धारित किराये की वसूली की जा रही अथवा नहीं, 3–पूर्व में की गई शिकायतों पर की गई कार्यवाही। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 29–10–2005 के द्वारा पत्र भेजा गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि जानकारी शासन से प्राप्त की जावे, क्योंकि शासन के ही द्वारा नौकरी प्रदान की गई है। दिनांक 6–12–2005 को भी आवेदक को पूर्ण जानकारी नहीं दी गई। दिनांक 3–1–2006 को श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह की सेवा पुस्तिका की फोटोकापी की प्रति दी गई तथा यह भी बताया गया कि देवेन्द्र प्रताप सिंह के विरूद्ध जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जांच नहीं की गई है। मूल निवासी के संबंध में सर्विस बुक की प्रति दी गई है। नोटिस के जवाब में जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा बताया गया कि मूल निवासी प्रमाण पत्र कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। माना कैम्प में आबंटित आवास गृह में किसी प्रकार का आवास किराया नहीं लिया जाता, इस कारण देवेन्द्र प्रताप सिंह से भी गृह भाड़ा नहीं लिया जा रहा है। आवास गृह आबंटित होने के संबंध में आदेश दिनांक 17–9–1996 की प्रति दी गई।

प्रकरण से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के द्वारा चाही गई जानकारी कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। देवेन्द्र प्रताप सिंह की सर्विस बुक में भी मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। साथ ही माना कैम्प में शासकीय आवास गृहधारियों से किराया नहीं लिये जाने के कारण देवेन्द्र प्रताप सिंह से भी किराया नहीं लिया गया। जहां तक देवेन्द्र प्रताप सिंह के विरूद्ध वर्ष 2003 में की गई शिकायत के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी ने यह स्पष्ट किया है कि जांच की कार्यवाही उनके कार्यालय में लंबित नहीं है। अतः यह जानकारी दिया जाना संभव नहीं है।

चूंकि वांछित जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी की पहुंच के अंतर्गत नहीं है और न ही उनके कार्यालयीन अभिलेख में है, अतः उनके द्वारा जानकारी प्रदान किये जाने में असमर्थता जाहिर की गई है। किन्तु यह उल्लेखनीय है कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जानकारी उपलब्ध न होने के संबंध में अपीलार्थी को सूचित किया जाना था तथा जानकारी आवेदक कहां से प्राप्त कर सकता है, इसकी भी सूचना आवेदक को दी जाना चाहिए थी। चूंकि वांछित जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी के पहुंच के बाहर है तथा कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, अतः जिला शिक्षा अधिकारी को जारी अर्थदण्ड का कारण बताओ नोटिस निरस्त किया जाता है। किन्तु अपीलार्थी को निर्धारित अवधि में वांछित सूचना प्रदान न किये जाने के कारण मानसिक एवं आर्थिक क्षति हुई है अतः शिक्षा विभाग के द्वारा अपीलार्थी को 250/– रूपए की क्षतिपूर्ति दिये जाने का आदेश दिया जाता है।

संचालक, लोक शिक्षण को आदेश की प्रति भेजी जावे तथा उन्हें यह निर्देश दिये जाते हैं कि उन्हें 15 दिन के अंदर अपीलार्थी को सूचित करें कि उसे किस अधिकारी से बिन्दु क्रमांक–3 की जानकारी प्राप्त हो सकती है। साथ ही यह भी निर्देश

दिये जाते हैं कि माना कैम्प में पुनर्वास विभाग के शासकीय आवास गृह का किराया नियमानुसार लिया जाता है अथवा नहीं इस संबंध में संबंधित विभाग से जानकारी लेकर पुष्टि करें तथा यदि किराया लिया जाता है तो तद्नुसार निर्देश संबंधितों को जारी करें।

उक्त निर्देशों के साथ अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त